आकस्मिक निरीक्षण टिप्पणी

निरीक्षणकर्ता — श्री लक्ष्मी कान्त शुक्ल,
जनपद न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।

निरीक्षण का दिनांक– 03.01.2024

समय– 03:00–3:20 पी०एम०

1– मेरे द्वारा आज दिनांक–03.01.2024 को समय 3:00 से 3:20 पी०एम के मध्य जनपद न्यायालय लखीमपुर–खीरी के विभिन्न न्यायालयों/कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

2– निरीक्षण के समय सिविल जज सी०डि० श्री नितिन कुमार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० 3 श्रीमती मोना सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० 4 श्रीमती कर्णिका अवध, सिविल जज जू०डि० श्री रवि पाण्डेय तथा सिविल जज जू०डि०/एफ०टी०सी० श्री शिखर अग्रवाल न्यायपीठ पर कार्य करते हुए पाये गये।

3– निरीक्षण के दौरान नवीन भवन ब्लाक–ए के बाहर अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० 7 श्री सूर्या चौहान तथा अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० 1 श्री देवान्शु सैनी आपस में बातचीत करते हुए पाये गये।

4– निरीक्षण के समय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री प्रमोद सिंह यादव, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० 1 श्री अविनाश चन्द्र गौतम, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० 2 श्रीमती छवि कुमारी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० 5 सुश्री एकता सिंह तथा सिविल जज सी०डि०/एफ०टी०सी० श्री आदित्य जायसवाल न्यायपीठ पर अनुपस्थित पाये गये।

उपरोक्त संबंधित न्यायिक अधिकारियों से उनकी न्यायपीठ पर अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण तीन दिवस के अन्दर आहूत किया जाये।

5– समस्त न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय समय के दौरान न्यायपीठ पर न्यायिक कार्य संपादित किया करें।

03.01.24

दिनांक–03.01.2024

(लक्ष्मीकान्त शुक्ल),
जनपद न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।